न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 75/2012

सायल :-

1. नूरा पुत्र समाजी
   जाति-मेहरात, निवासी-टूकड़ा
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

गैरसायलान :-

1. सुबानी पत्नि ईस्माईल
2. भाली पत्नि भीका
3. अब्दुल पुत्र भीका
4. प्रेमी देवी पत्नि रामा
5. सुरेश पुत्र रामा
6. श्याम पुत्र रामा
7. बबलु पुत्र रामा
8. सुशील पुत्र रामा
9. रेखा पुत्री रामा
10. गीता पुत्री रामा
11. मोहन पुत्र ईस्माइल
12. शौकीन पुत्र ईस्माइल
13. हाकम पुत्र ईस्माइल
14. घीसी पत्नि पेमा
15. राजु पुत्र पेमा
16. मोहन पुत्र पेमा
17. महेन्द्र पुत्र पेमा
18. कचरू पुत्र सुवा
19. गोलू पुत्र सुवा
20. मनूडी पुत्री सुवा
21. माली पुत्री सुवा
22. कमली पुत्री सुवा
23. रामा पुत्र हीरा
24. रेशमा पुत्र पदा
25. गोविन्द पुत्र हेमा
26. साबु पुत्र हेमा
27. सोहन पुत्र हेमा
28. वला पुत्र हेमा
29. मनोहर पुत्र हेमा
30. कमली पुत्री हेमा
31. ढगला पुत्र धन्ना
32. छीतर पुत्र शैतान
33. जोगा पुत्र शैतान
34. रमजु पुत्र शैतान
35. चन्द्री पुत्री शैतान
36. जमकु पुत्री शैतान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

37. कसूमी पुत्री शैतान
38. छोटू पुत्र छोगा
39. कगला पुत्र छोगा
40. कगली पुत्री छोगा
41. सुखी पुत्री छोगा
42. राधा पुत्री छोगा
43. प्रबंधक एम.जी.बी.जी. बलाड़ा
44. शंकर पुत्र घीसा
45. रमेश पुत्र घीसा ना.बा.
46. श्रवण पुत्र घीसा ना.बा.
47. शहनाज पुत्री घीसा
नाबालिब वली शंकर पुत्र घीसा
48. मदीना पत्नि घीसा
जातियान–मेहरात,निवासी–टूंकड़ा
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)
49. तहसीलदार, जैतारण
तह0–जैतारण, जिला–पाली
50. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
तह0–जैतारण, जिला–पाली
51. पटवारी, पटवार हल्का–टूंकड़ा
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू: 03/04/2012

उपस्थितः. 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री महेन्द्रसिंह बारहठ, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 19/06/2015**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–टूंकडा, पटवार हल्का–टूंकडा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में सायल बतौर काश्तकार के बिना किसी व्यवधान के आज मौके पर चिरकालिक रूप से पुश्तैनी कृषि आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 1–14 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 385 रकबा 9–01 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 386 रकबा 0–02 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 387 रकबा 3–11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 388 रकबा 6–15 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 389 रकबा 1–05 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 390 रकबा 8–12 बीघा किस्म चा0दो0, कुल किता–7 कुल रकबा 31–00 बीघा की आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि आराजी को इस प्रार्थना पत्र मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया गया हैं। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। इसका एक भाग माना जावें। उक्त मुतदाविया कृषि आराजी मुस्तर्का खानदान की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पुश्तैनी कृषि आराजी हैं। वक्त सैटलमेन्ट के दौरान सायल के दादा (ग्रान्ट फादर) उस समय नाबालिंग थे और उस दौरान सम्पूर्ण कृषि आराजीयात सायल के दादा के सबसे बड़े कर्ता खानदान भाई बिरदा के नाम राजस्व रेकर्ड में परम्परा के अनुसार दर्ज कर दिया तथा सायल के दादा व पिता व स्वयं सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद रहने से रह गया। सायल खातेदारी अधिकारी से महरूम हो गया। जबकि सायल के दादा पिता प्रत्यक्ष रूप से उक्त मुतदाविया कृषि आराजी के हकदार थे। सायल के दादा व पिता अनपढ होने के कारण व कानूनी अनंभिज्ञता के कारण आज तक राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद नहीं हुआ। सायल की ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋण उठाने हेतु एवं मुआवजा राशि जो राजस्थान सरकार द्वारा फसल की नुक्शानी हेतु इमदाद आर्थिक दी जाती हैं। इस हेतु गया, तो पता चला की सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गया, तो वाद हेतु 20/03/2012 को बमुकाम-दूकडा में पैदा हुआ। सायल का उक्त वर्णित मुतदाविया कृषि आराजी में 1/12 हिस्सा आती हैं तथा गैरसायल संख्या 1 से 13 का 1/12 हिस्सा आता हैं। गैरसायल संख्या 14 से 24 का 1/12 हिस्सा आता हैं। मौके पर सायल एवं गैरसायल की कृषि आराजी का बंटवाडा हो रखा हैं। किन्तु वर्तमान में जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम वगैरा नहीं हो रखी हैं। सायल गैरसायल संख्या 25 से 48 की औपचारिक पक्षकार बनाया गया हैं। इनसे किसी प्रकार से अनुतोष की आवश्यकता नहीं हैं। तथा सायल एवं प्रार्थना पत्र के माध्यम से गैरसायल से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाना चाहते हैं। सायल की कब्जे काश्त की कृषि आराजी में गैरसायलान किसी भी प्रकार की बेजा मदालखत न करें तथा इनके वारिसान नौकर, चाकर, हाली, एजेन्ट की सायल की कब्जे काश्त की आराजी में दखलन्दाजी करने से रोका जावें। अन्यथा मप्टीप्लीसिटी ऑफ सूट होगें और सायल को फालतू खर्चे से जैरबार होना पडेगा। इसलिए सायल के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक सायल खिलाफ गैरसायल के सादिर फरमावें। तथा गैरसायलान व नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट आदि की हमेश-हमेशा के वास्ते जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जावें। उक्त वर्णित मुतदाविया कृषि आराजी में मौके पर सायल का पजेशन हैं। उक्त कृषि आराजी पुश्तैनी हैं। सायल के दादा नाबालिंग हो जाने के कारण रेकर्ड में सायल का नाम अमल दरामद होने से रह गया और सायल अपने खातेदारी हक हकूकों से महरूम हो गया। सायल ने इश्तकरार हक घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान के खिलाफ पेश किया जा रहा हैं। सायल की उक्त कृषि आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावें। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सायल की बतौर खातेदार दर्ज किये जावें। सायल एवं गैरसायलान का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त हैं। सायल का 1/12 हिस्सा व गैरसायलान संख्या 14 से 24 तक का 1/12 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें व तरमीम की जावें व नक्शा ट्रेस में बटामिन लगाया जावें व राजस्व लगान भी अलग किया जावें। इस आशय की डिक्री बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमाई जावें। सरहद मौजा-दूकडा, पटवार हल्का-दूकडा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित सायल की कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि आराजी आई हुई हैं। मौके पर सायल का ही कब्जा काश्त हैं, और मौखिक रूप से आपसी बंटवाडा हो रखा हैं। किन्तु राजस्व रेकर्ड में सायल के दादा नाबालिंग होने के कारण वक्त सैटलमेन्ट के समय राजस्व रेकर्ड में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायल की उक्त वर्णित कृषि आराजी में हक होने के बावजूद भी नाम नही हैं। फिर भी सायल के पक्ष में कब्जा होने के कारण प्रथम दृष्टिया मामला भी सायल के पक्ष में बखुबी साबित हैं तथा मौके पर कब्जा काश्त होने के कारण सुविधा का सन्तुलन भी हर सूरत में सायल के पक्ष में तथा सायल की बेदखल कर दिया गया, तो या कृषि आराजी का हस्तान्तरण कर दिया गया, तो सायल को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में पेश हुई। गै0सा0 संख्या 1, 2, 4, 6 से 11, 14 से 24, 26, 27, 29 से 31, 33 से 37, 39 से 43, 45 से 50 को बावजूद सूचना / तामिली के अनुपस्थ रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिगर गै0सा0 जवाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 के विरूद्ध उक्त भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से दिनांक 03/04/2012 अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-टूंकडा, पटवार हल्का-टूंकडा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में सायल वतौर काश्तकार के विना किसी व्यवधान के आज मौके पर चिरकालिक रूप से पुश्तैनी कृषि आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 1-14 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 385 रकबा 9-01 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 386 रकबा 0-02 बीघा किस्म गै0मु0वेरा, खसरा नम्बर 387 रकबा 3-11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 388 रकबा 6-15 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 389 रकबा 1-05 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 390 रकबा 8-12 बीघा किस्म चा0दो0, कुल किता-7 कुल रकबा 31-00 बीघा की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को पाबन्द किया गया था। जबाव पेश नहीं करने से जबाब बन्द होने से न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 19/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner